कार्यालय अंचल अधिकारी, पीरटाँड़।

आदेश

अभिलेख संख्याः– 12/22–23
अभिलेख का प्रकारः– राजस्व विविध वाद
अजय हेम्ब्रम बनाम मांझो हेम्ब्रम

19/5/23

यह अभिलेख आवेदक श्री अजय हेम्ब्रम पिता नुनुलाल हेम्ब्रम एवं अमित हेम्ब्रम पिता स्व0 रामशल हेम्ब्रम साकिन चिरकी, थाना पीरटांड़, जिला गिरिडीह के आवेदन पर खोला गया है। आवेदक का कहना है कि मौजा चिरकी थाना न0 78 खाता न0 30, जो उनके पूर्वज गालू मांझी के नाम है। उस पर उनके गोतिया के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। उन्हीं के गांव के श्री मांझो हेम्ब्रम पिता स्व0 गुणा हेम्ब्रम द्वारा हमारे खतियानी जमीन का वंशज के रूप में दावा किया जा रहा है, जिसका जॉच कर उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए अनुरोध किया गया है। इस संबंध में राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन की मांग किया गया।

राजस्व उप निरीक्षक/ अंचल निरीक्षक का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त है। जॉच प्रतिवेदनानुसार आवेदित भूमि मौजा चिरकी थाना न0 78 खाता न0 30, रैयती खाते की भूमि है। जिसका खतियान गालू मांझी वो भरथ मांझी वो कान्हू मांझी पेशरान भाकूर मांझी कौम सौताल के नाम दर्ज है। पंजी II के अनुसार वर्तमान में पृष्ठ सं0 34 भोलूम 9 में गालू मांझी वगैरह पेशरान भाकूर मांझी के नाम खाता न0 30 में रकवा 10.93 1/2 ए0 की जमाबंदी चल रही है। ऑनलाइन जमाबंदी में प्लॉट संख्या में एक मात्र प्लॉट 1086 दर्ज है। ऑनलाइन लगान रसीद वर्ष 2022–23 तक निर्गत है। आवेदक श्री अजय हेम्ब्रम वगैरह के द्वारा खाता न0 30 के वंशज के रूप में दावा किया जा रहा है। उनके द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि मांझो हेम्ब्रम पिता गुणा हेम्ब्रम वगैरह द्वारा उनकी जमीन पर नाजायज ढंग से जोत–आबाद एवं दावा–दखल किया जा रहा है। उनके द्वारा वंशावली का छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है, जो ग्रामीणों द्वारा सत्यापित है। द्वितीय पक्ष मांझो हेम्ब्रम पिता गुणा हेम्ब्रम द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि मुझको कमजोर समझकर अजय हेम्ब्रम वगैरह द्वारा मेरे अपने खतियानी भूमि से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस भूमि पर मेरे बाप–दादा के समय से ही दखल–कब्जा है। दोनों पक्षकार एक ही खतियान के वंशज होने का दावा कर रहे हैं। उभय पक्षकारों के बीच खतियानी रैयत के जायज वंशज साबित करने के लिए ग्राम सभा एवं पंचायती राज प्रतिनिधियों के समक्ष ग्राम सभा आयोजित कर वंशावली सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

Scanned by CamScanner

विभिन्न तिथियों में उभय पक्षकारों द्वारा अलग–अलग वंशावली प्रस्तुत किया गया, जिसे दूसरे पक्ष वाले गलत एवं फर्जी बता रहे हैं। राजस्व उप निरीक्षक के मौजूदगी में भी निर्धारित तिथि को आयोजित ग्राम सभा में भी उभय पक्षकारों में किसी के वंशावली को ग्राम सभा द्वारा सत्यापन नहीं किया जा सका। वैध एवं ग्राम सभा के माध्यम से सत्यापित वंशावली नहीं होने के कारण उभय पक्षकारों में खतियानी रैयत के जायज वंशज कौन है यह सिद्ध नहीं हो पाया। अतः किसी एक के पक्ष में निर्णय लेना इस न्यायालय में संभव नहीं है।

अतः दोनों पक्षकारों के बीच खतियानी भूमि का दावा किया जाने से संबंधित यह वाद स्वत्व के निर्धारण का है, जिसका निर्धारण इस न्यायालय के अन्तर्गत नहीं हो सकता है। अतः उभय पक्षकार इसके निर्धारण के लिए सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं।

17.7.23.

अंचल अधिकारी,
पीरटांड़।

Digitally signed by BINAY PRAKASH TIGGA
Date: 2023.07.17 15:58:24 +05:30
Location: 192.168.254.61

Scanned by CamScanner